जो.न.नि. कार्यालय जोधपुर नगर निगम(अग्नि), जोधपुर

क्रमाक :– अग्नि/13/JFS/ 2018–19 / 541 दिनांक :– 30/3/19

व्यवस्थापक
द उम्मेद स्कूल
59/1, ग्राम बासनी तम्बोलिया
नागौर बाईपास रोड जोधपुर।

विषय :– अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र हेतू अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर मे स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बाबत।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनाक 14.02.2019 के कम में।

उपरोक्त विषय एव आपके प्रासंगिक पत्रानुसार आपके विद्यालय भवन व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर मे स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील अवस्था मे पाई गई। भविष्य हेतू भी इन यंत्र/उपकरणो, होजरिल एवं निर्देशित की गयी अन्य व्यवस्थाओं को कार्यशील अवस्था मे रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित व्यवस्थापक श्री महेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तो की पालना व्यवस्थापक स्कूल द्वारा करने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा–पत्र जारी किया जाता है जो कि ज़ारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था की जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था की जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर , हाईड्रेडट, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पम्पिंग यूनिट को हर समय चालू हालत में रखा जाएगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. भवन का अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण, परीक्षण रखरखाव हेतु प्रशिक्षित अग्निशामक की नियुक्ति करनी होगी।
6. भवन के निकासी मार्गों/सीढ़ियों पर आपात कालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
7. भवन में आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा निर्देश व निकासी सूचक रेडियम से अंकित किए जाएंगे।
8. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों की टेस्टिंग की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, हाईड्रेट का समय पर रख–रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाएगा।
9. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
10. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
11. उक्त अग्निशन अनापति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
12. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।

30/3/19

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर